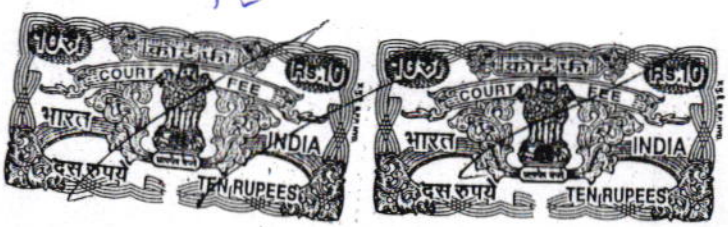

-1-

84

निगरानी 86-II-15

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प भोपाल

प्र.क्र. /2014 निगरानी

बृजवल्लभ पुत्र नंदकिशोर अग्रवाल
उम्र वयस्क नि. नंदवाना
विदिशा(म.प्र.) ......आपत्तिकर्ता / निगरानी

विरूद्ध

(1) लालाराम पुत्र सुरजन सिंह जाति मीणा उम्र
के ग्राम गेहूँखेड़ी तहसील व जिला
विदिशा (म.प्र.) .... आवेदक / क्र. 1

(2) राजेश सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति मीणा
नि. ग्राम गेहूँखेड़ी तहसील व जिला विदिशा
(म.प्र.) .... अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता व नाराजी आदेश
दिनांक 26.12.14 बायामले लालाराम म.प्र. शासन अन्य प्र.क्र. 65/12–13 में
न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय विदिशा

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न पेश है :–

यह कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 व 2 आपस मे सगे भाई है तथा अनावेदको व उनके पिता सूरजन सिंह ने मध्य आपसी सहमति से ग्राम सोंठिया फाटक 51 नया 63 तह. जिला विदिशा स्थित सर्वे क्र. 466 फर्द वटा न होकर बटवारा फर्द पर अपने/अपने हस्ताक्षर दि. 22.06.13 को किए एवं उसी अनुसार नामांतरण पंजी पर नामांतरण पृथक–पृथक हल्का पटवारी द्वारा दर्ज अक्स मै बटांन खड़े मे डाली गई। उक्तानुसार 466/1, अना. क्रं. 2 के नाम एवं 466/2 अना. क्र. 1 लालाराम एवं 466/3 अनावेदकगणों के पिता के नाम होकर काविलकास्त होकर कृषि कर उपयोग व उपयोग करते चले आ रहे है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 86–दो/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 65/12–13 में पारित आदेश दिनांक 26.12.14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लालाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 125 सहपठित धारा 32 के तहत इस आशय का आवदन पेश किया कि वह ग्राम सौंठिया की भूमि खसरा नं. 466 में से रकबा 1.14 हैक्टर पर मालिक काबिज है और भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है । आवेदन में उन्होंने खसरा नं. 466/2 रकबा 1.141 हैक्टर का बटांन संशोधन का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 26–12–14 द्वारा आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 का के तहत प्रस्तुत आवेदन उसे हितबद्ध पक्षकार न होने के कारण निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक को 15 दिवस में लिखित तर्क पेश करने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमो में आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आपत्तिकर्ता/आकवेदक के हित में अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन आराजी	

निग.- 86 - 5/15 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में से 0.627 हैक्टर का विक्रय अनुबंध किया गया है । विक्रय अनुबंध का पालन न करने के कारण आवेदक द्वारा दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश की प्रति तहसील न्यायालय में आपत्ति के साथ पेश की गई जिस पर विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । आवेदक प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार बनाने से मना करना अवैधानिक है । यह भी कहा गया है कि यदि अनावेदक कं. 1 द्वारा बटान करा लिया जाता है तो उस स्थिति में आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता का अनुबंध विक्रयपत्र एवं दीवानी वाद व्यर्थ होने की पूर्ण संभावना है, इस तथ्य को भी अनदेखा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उसे पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया । विक्रय अनुबंध के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक/आपत्तिकर्ता को कोई स्वत्व प्राप्त नही होते हैं इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	